कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
(शाखा : मध्याह्न भोजन योजना, समिति)
पत्रांक..62......./

18/3/16

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (NIC)
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 17/03/......2016

विषय :- **जिले के वेबसाईट पर मध्याह्न भोजन योजना का संवेदक चयन हेतु विज्ञापन सूचना 02/16 अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना संचालन हेतु संवेदक चयन विज्ञापन सूचना 02/16 निकाला जाना है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर **जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने** हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन को **जिले के वेबसाईट पर अपलोड** करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक - विज्ञापन सूचना 02/16 (03 पन्ना)

विश्वासभाजन

17-03-16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

17/03/16

बिहार सरकार

संवेदक चयन हेतु विज्ञापन-सूचना-02/16

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11,1366 दिनांक 28.08.12 एवं चयन-सह-अवधि विस्तार समिति का विशेष निर्णय दिनांक 19.08.2015 के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के चार (04) प्रखंडों में क्रमशः चौसा पंचायत 13, ग्वालपाड़ा पंचायत 12, कुमारखंड पंचायत 21, मुरलीगंज पंचायत 17 में अवस्थित विद्यालयों के लिए खाद्यान्न के परिवहन एवं हथालन हेतु संवेदक के चयन के लिए मुहरबंद निविदा जिला ग्रमीण विकास अभिकरण (DRDA) के परिसर में अवस्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने की अंतिम तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों के अंदर कार्यालय अवधि में अद्योलिखित शर्त्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है।

1. संवेदक को कम से कम 15 पंचायत वाले प्रखंड हेतु 5 ट्रैक्टर/ट्रक तथा 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखंड हेतु 8 ट्रैक्टर/ट्रक मालिकों का लिखित इस आशय का एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ट्रक को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगें। यदि कोई एक निविदादाता किसी ट्रैक्टर/ट्रक का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करते हैं और दूसरे उसी ट्रैक्टर/ट्रक का लिखित एकरारनामा उस प्रखंड में या अन्य प्रखंडों के लिए देते हैं तो सभी का आवेदन (निविदा) अमान्य कर दिया जायेगा।

   निविदादाता को आवेदित सभी वाहनों का अद्यतन रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, इन्श्योरेंश आदि वाहन संबंधी कागजात की छायाप्रति निविदा के साथ देना होगा। निविदा की स्कूटनी के समय गाड़ियों का मूल कागजात दिखाना होगा। एक आवेदक एक ही प्रखंड हेतु आवेदन करेंगें। एक से अधिक प्रखंडों में आवेदन कि स्थिति में उनका सभी आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
2. आवेदक को 50000.00(पचास हजार रुपये) बैंक गारंटी एकरारनामा के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना मधेपुरा के पक्ष में जमा करना होगा।
3. आवेदक को अनुमंडल पदाधिकारी अथवा आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो तीन माह निविदा प्रकाशन की तिथि से अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को 10000.00 (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा के नाम से अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रुप में जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा के कार्यालय में जमा रहेगा।
5. आवेदक को आवेदन के साथ आयकर पैन कार्ड की छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करना होगा एवं स्क्रूटनी के समय मूल रूप से दिखाना होगा।
6. समय पर कार्य में असफल होने अथवा असंतोष जनक कार्य पर आवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10,000.00 (दस हजार रुपये) जब्त कर ली जाएगी।
7. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेगें। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी (मध्याह्न भोजन योजना) एवं संवेदक संयुक्त रुप से जिम्मेवार होंगें।
8. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त वाहन, ईधन लगने वाली मजदुरी हथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत S.I.O के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के

लिए खाद्यान्न का उठाव करेगें। प्रखंड साधन सेवी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा प्रत्येक माह की 07वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक विवरण सूची संवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 15वीं तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रखंड साधन सेवी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रभारी द्वारा प्राप्त किये गए खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को माह की 20वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रखंड के विद्यालय में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरान्त परिवहन-सह-हथालन मद में 40 (चालीस) रुपये प्रति क्वींटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान माह की 27वीं तारीख तक करना सुनिश्चित करेगें।

9. एकरारनामा दिनांक 31.03.2017 तक के लिए किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोष जनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
10. संवेदक के किया कलाप का मुल्यांकन उपर्युक्त कंडिका (08) में वर्णित समय सीमा के अनुपालन के आधार पर किया जायेगा।
11. निदेशालय से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त ही संवेदक को हथालन मद में भुगतान किया जायेगा।
12. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के दूसरे दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में (कार्य दिवस) निदेशालय के पत्रांक 5483 दिनांक 03.08.2011 के आलोक में गठित स्क्रूटनी कमिटि के समक्ष निविदा खोली जायेगी। इसके उपरांत कमिटि प्रत्येक निविदा की संवीक्षा (Scruitnee) करेगी तथा प्रत्येक प्रखंड के लिए डाले गये निविदा आवेदकों का पैनल तैयार करेगा और अपनी अनुशंसा के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त तिथि को निविदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति रह सकते हैं। जिलाधिकारी, की अध्यक्षता में गठित चयन-सह-अवधि विस्तार समिति संवेदकों को चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।
13. जिन 04 चार प्रखंडों के आवेदकों ने विज्ञापन सं0 01/16 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है वे कार्यालय अवधि में कार्यालय से अपना आवेदन प्राप्त कर लें। वे नये विज्ञापन के आलोक में नये सिरे से अपना निविदा डाल सकते हैं। पुनः निविदा नहीं डालने पर उनकी दावेदारी समाप्त मानी जायेगी।
14. प्रखंडो हेतु यदि एक से अधिक निविदा प्राप्त होता है और सभी के कागजात सही पाये जाते हैं तो उक्त प्रखंड के लिए संवेदक की नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
15. आवेदन पर अंतिम निर्णय करने तथा आवेदन को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विहित चयन समिति का होगा। समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं वैध होगा।

17-03-16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

17/03/16

बिहार सरकार

संवेदक चयन हेतु विज्ञापन-सूचना-02/16

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11, पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.12 एवं चयन-सह-अवधि विस्तार समिति के निर्णय के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना, के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के चार (04) प्रखंडों (क्रमशः कुमारखंड, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा एवं चौसा) में अवस्थित विद्यालयों के लिए खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु संवेदक के चयन के लिए मुहरबंद निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) मधेपुरा के परिसर में अवस्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना मधेपुरा के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों के अंदर कार्यालय अवधि में आमंत्रित किया जाता है। निविदा (आवेदन) देने के लिए शर्त्ते एवं इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरणी जिलाधिकारी, मधेपुरा की वेवसाईट http:// madhepura.nic.in पर दी गई है। निविदादाता (आवेदक) उक्त वेवसाईट पर विस्तृत विवरणी देख सकते हैं। कार्यालय अवधि में कार्यालय आकर भी विस्तृत विवरणी प्राप्त की जा सकती है।

17-03-16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

17/03/16